**प्रैस विज्ञप्ति**

**दिनांकः 09.04.2021**

**थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरान्त एक महिला सहित 03 शातिर चोरों को चोरी किए गए 2.45 लाख रूपये की नकदी, भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के, मूर्ति, डीवीआर, एक वैगनआर कार एवं अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 08.04.2021 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि आपके थानाक्षेत्र में अलग-अलग चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाला गिरोह, जिनके साथ एक महिला भी है जो एक वैगनआर कार में सवार होकर मऊखेडा फाटक से होते हुए मेरठ जाने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी मय पुलिस टीम के मऊखेडा फाटक पहुंचे तथा संदग्धि वाहनों की चैकिंग करने लगे। कुछ देर बाद एक गाडी आती दिखाई दी जिसे टार्चो की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया गया तो गाडी में आगे सीट पर बैठे दो अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर घेराबंदी कर गाड़ी को रोककर गाड़ी में सवार दोनों अभियुक्तों को समय करीब रात्रि 08.30 बजे अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की तथा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी महिला को महिला आरक्षी की मदद से पकड लिया गया।

**बरामद वैगनआर गाडी को चैक किया गया तो गाडी की पिछली सीट पर एक बैग से भारी मात्रा में सोने/चांदी के जेवरात, सिक्के, मूर्ति बरामद हुए तथा चालक की सीट के नीचे से एक पोलीथीन से कुल 2,45,000 रुपये की नकदी वरामद हुई व दूसरे बैग से 04 कंगन पीली धातु, एक हार, 02 कानों के टॉप्स, 02 लेडीज अंगूठी, एक जोडी बच्चों के कडे सभी पीली धातु के बरामद हुए। चालक की सीट के बरावर वाली सीट के नीचे से एक डीवीआर वरामद हुई।**

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. विकास जाटव उर्फ विशाल पुत्र चन्द्रपाल उर्फ सूरज निवासी ग्राम वैरा थाना स्याना बुलन्दशहर। हाल पता-गली नं0-3, ज्ञानलोक कालोनी थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर
2. वर्षा पत्नी विकास जाटव उर्फ विशाल निवासी उपरोक्त।
3. अंकित जाटव पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम सैदपुर थाना बीबीनगर बुलन्दशहर।

## बरामदगी- (सम्पूर्ण आभूषण की कीमत करीब 15 लाख रूपये)

**थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुअसं-357/21 धारा 457,380,411 भादवि से संबंधित बरामदगी-**

**1. पीली धातु के आभूषण**-(एक चैन गले की मय लाकेट, दो कानों के टॉप्स, एक चैन गले की मय लाकेट मय दो कानों के टॉप्स, एक चैन गले की लाकेट मय दो कानों के टॉप्स, दो कंण्डल छोटा साइज, दो कुण्डल मय लटकन, दो कुण्डल मय पत्तीदार लटकन, एक अंगूठी लेडीज डिजाइनदार, एक अंगूठी मर्दाना, एक चैन मय लाकेट ओउम, एक चैन लेडीज, एक चैन मय लाकेट मर्दाना, दो सर्पनुमा कंगन, दो डिजाइनदार कंगन)

**2. सफेद धातु के आभूषण**-(06 जोडी पाजेब डिजाइनदार, लक्ष्मी गणेश आदि के 11 चांदी के सिक्के, एक ग्लास मय चम्मच, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, बच्चों के कंगन 03 जोडी, 2000 का ठोस एक , 50-50 के दो ठोस, 20 का ठोस एक, 10 का ठोस एक, 08 जोडी बिछुये, एक कमर बन्द मय दो पाजेब)

**3. 2,45,000 रूपये की नकदी।**

**4. एक सीसीटीवी की डीवीआर**

**5. थाना कोतवाली नगर क्षेत्र आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बीमा कम्पनी से चोरी किए गये रूपयो से खरीदी गयी जवैलरी-(मुअसं-198/21 धारा 457,380 भादवि से संबंधित)** 04 कंगन पीली धातु, एक हार, 02 कानों के टॉप्स, 02 लेडीज अंगूठी, एक जोडी बच्चों के कडे सभी पीली धातु

**(विभिन्न स्थानों पर चोरी की घटनाओं से संबंधित)**

**5. सफेद धातु के आभूषण**-(01 कमरबन्द, 06 जोडी पाजेब, 04 लोकेट मय चैन, एक हथफूल, 04 कडे, 11 छत्र, 10 सिक्के, 08 बिछुये

**6. पीली धातु के आभूषण-** 11 नग आर्टीफिशियल ज्वैलरी।

7- एक वैगनआर कार नं0 यूपी-16एफ-8596

8- दो तमंचे देशी 315 वोर मय 04 जिन्दा व दो खोखा कारतूस

**गिरफ्तार अभियुक्त विकास उर्फ विशाल व अंकित द्वारा बरामद सोना/चांदी व रुपयों के विषय में पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों इसी गाड़ी से बन्द पडे मकानों/दुकानों में रात्रि के समय मौका मिलते ही आभूषण, नकदी, इन्वेटर बैटरा आदि सामान चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देते है। यह गाड़ी भी हमने अलग-अलग स्थानों पर की गयी चोरी के रूपयों से खरीदी है। वर्षा को साथ रखने का यह फायदा होता है कि रात के समय पुलिस चैकिंग के दौरान महिला साथ होने से हम बच निकलते है तथा पुलिस पूछताछ करके जाने देती है। यह सोने-चांदी के आभूषण व रुपये अलग-अलग स्थानों से की गयी चोरियों के हैं। सोने व चांदी के आभूषणों को मेरठ बेचने के लिए ले जा रहे थे।**

**थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में घटित निम्न चोरी की घटनाएं अनावृत हुई है जिनका विवरण निम्नवत है-**

➢ अभियुक्तो द्वारा दिनांक 04.01.2021 रात्रि में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत आवास विकास कालौनी एक मकान से एक घर से 20 हजार रुपये, एक चांदी व सोनी की चैन, दो पायल चांदी, एक मोबाइल फोन चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में कोतवाली नगर पर मुअसं-21/21 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत है। **इस घटना से संबंधति अभियुक्तों से एक चैन पीली धातु, 02 पाजेब सफेद धातु बरामद हुई है।**

➢ इसके अलावा दिनांक 03.02.2021 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत मौ0 फैसलाबाद में एक परचून की दुकान से सिगरेट, बीडी, गुटका आदि सामान चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में कोतवाली नगर पर मुअसं-154/21 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत है।

➢ इसके अतिरिक्त दिनांक 22.02.2021 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत डिप्टीगंज रोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बीमा कम्पनी में करीब 02 लाख रुपये चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिनमें से कुछ रुपयों के सोने के जेवरात बनवा लिये थे जो वर्षा के बैग में बरामद हुए हैं। उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-198/21 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से संबंधित 04 कंगन पीली धातु, एक हार, 02 कानों के टॉप्स, 02 लेडीज अंगूठी, एक जोडी बच्चों के कडे सभी पीली धातु बरामद हुए है।

➢ इससे अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा दिनांक 27/28.03.2021 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत आवास विकास कालौनी निवासी डॉ0 मोहित गुप्ता पुत्र गिरीशचन्द गुप्ता के घर में घुसने से पूर्व सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिये थे और एक कमरे में रखा रिकार्डर उठा लिया था जिससे हमारी पहचान न हो सके तथा घर से सोने-चांदी के जेवरात एवं 04 लाख रुपये कैश चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-357/21 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त अंकित ने उक्त चोरी किए के रूपयो में से एक लाख रुपये अपनी बहन को दे दिये थे तथा कुछ पैसे खर्च होना बताया। उक्त घटना से संबंधित अभियुक्तों से 2,45,000 रूपये एवं भारी मात्रा में चोरी की गयी ज्वैलरी एवं डीवीआर बरामद की गयी है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-411/21 धारा 307,34 भादवि(पुलिस मुठभेड), मुअसं-412 व 413/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 एवं मुअसं-414/21 धारा 414,34 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का नामः-**

1- श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर

2- उ0नि0 अजय पंवार, उ0नि0 राजवीर,

3- है0का0 मनोज कुमार, है0का0 संजीव कुमार, है0का0 देवेन्द्र, है0का0 संजीव कुमार, कां0 विदित, कां0 रवि कुमार, का0 सर्मेन्द्र, म0का0 सर्वेश कुमारी